प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.11.23

थाना कौशाम्बी पुलिस व एन्टी नार्कोटिक्स टीम मेरठ द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से प्रतिबंन्धित दवाई कोडीन युक्त फेंसीडिल कफ सीरप 15000 बोतल (अनुमानित अन्तर्राष्टीय मूल्य लगभग 01 करोड रुपये) व घटना में प्रयुक्त एक कार व एक कैन्टर बरामद ।

दिनांक 29.11.2023 को थाना कौशाम्बी पुलिस व एन्टी नार्कोटिक्स टीम मेरठ द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्त 1. सरफराज अहमद पुत्र सत्तार नि0 राधना इनायतपुर थाना किठोर जिला मेरठ उम्र करीब 33 वर्ष 2. युसुफ खान उर्फ गुड्डु डॉक्टर पुत्र सजाउद्दीन अहमद नि0 म0न0 531 गली नं0 उम्र करीब 23 वर्ष 3. तुफैल चौधरी पुत्र फखरुद्दीन अली नि0 अहमद नगर थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ उम्र करीब 45 वर्ष को यू.पी. गेट से करीब 100 मीटर मदन मोहन मालवीय मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से प्रतिबन्धित दवाई कोडीनयुक्त फेन्सीडिल कफ सीरप 15000 बोतल व घटना में प्रयुक्त कार व कैन्टर बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजिकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पुछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्तगण 1. सरफराज अहमद 2. युसुफ खान उर्फ गुड्डु डॉक्टर 3. तुफैल चौधरी ने पूछने पर बताया कि हम इस औषधि को मेरठ से लोड कर पश्चिम बंगाल वाया बिहार पहुंचाते है। जिसके लिये हमें एक से डेढ लाख रूपये प्रति चक्कर मिलता है तथा इस एक लाख में तुफैल का हिस्सा 25 हजार रूपये होता है तथा बाकी सरफराज व गुड्डू डाक्टर बराबर बराबर आपस में बांटते हैं। हमारे द्वारा भगवानपुर से फोम गद्दे भगवानपुर, रूडकी से दिनांक 24.11.2023 को भरवाये थे तथा ई-वे बिल बनवाया था जिनकी आड़ में हम यह औषधि आसानी से पश्चिम बंगाल पहुंचा देते हैं। आज भी हम कोडीन युक्त फेन्सीडिल औषधि सप्लाई कराने निकले थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः –</u>

1. सरफराज अहमद पुत्र सत्तार नि0 राधना इनायतपुर थाना किठोर जिला मेरठ उम्र करीब 33 वर्ष
2. युसुफ खान उर्फ गुड्डु डॉक्टर पुत्र सजाउद्दीन अहमद नि0 म0न0 531 गली नं0 उम्र करीब 23 वर्ष
3. तुफैल चौधरी पुत्र फखरुद्दीन अली नि0 अहमद नगर थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ उम्र करीब 45 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

- प्रतिबन्धित दवाई कोडीनयुक्त फेंसीडिल कफ सीरप 15000 बोतल **(अनुमानित अन्तर्राष्टीय मूल्य लगभग 01 करोड रुपये)**
- घटना में प्रयुक्त 01 कार व 01 कैन्टर

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम व एन्टी नार्कोटिक्स टीम मेरठ

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गौर ग्रीन पार्क मे की गयी हत्या की घटना का किया सफल अनावरण, हत्या करने वाले 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u> दिनांक 28.11.2023 को समय प्रात: 6.30 बजे थाना इन्दिरापुरम पर सूचना प्राप्त हुई कि गौर ग्रीन पार्क निकट साई चौक इन्दिरापुरम में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल मौके पर जाकर देखा तो पार्क के अंदर एक व्यक्ति उम्र करीब 30 वर्ष मृत अवस्था में पड़ा हुआ था जिसके गर्दन व पेट पर चाकू के निशान थे। मौके पर फील्ड यूनिट / डॉग स्क्वायड को बुलाया गया तथा पंचायतनामा की

कार्यवाही कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया गया जिसके क्रम मे श्रीमति सुल्ताना पत्नी श्री इस्लाम निवासी न्यायखन्ड 1 इन्दिरापुरम द्वारा शव की शिनाख्त अपने भाई आरजू शेख पुत्र शमशेर शेख निवासी सैंथिया जंक्सन जिला बीरभूमि पश्चिम बंगाल हाल निवासी न्यायखन्ड 1 इन्दिरापुरम के रुप मे की मृतक अपनी बहन सुल्ताना पत्नी श्री इस्लाम के पास न्यायखन्ड 1 इन्दिरापुरम मे रह रहा था तथा वीथ्रीएस सोसायटी मे गार्ड की नौकरी कर रहा था।

घटना के सम्बन्ध मे वादिया श्रीमति सुल्ताना की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इंदिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

घटना के सम्बन्ध मे गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना को कारित करने वाले 02 बाल अपचारीयों को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि एक बाल अपचारी मृतक आरजू शेख का सगा भांजा है जिसने अपने एक अन्य बाल अपचारी साथी के साथ मिलकर मृतक आरजू शेख की हत्या को अंजाम दिया है।

<u>पूछताछ का विवरण -</u> घटना के सम्बन्ध मे बाल अपचारीयों से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश मे आया कि मृतक आरजू शेख पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। सुल्ताना न्यायखन्ड 1 इन्दिरापुरम मे किराये के मकान मे अपने पुत्र माँ खतुजा बीबी एवं बहन तनुजा व उसके पति रुमी खान व उनके दो पुत्र के साथ रहती है। करीब एक माह पूर्व मृतक आरजू शेख अपनी बहन सुल्ताना के घर न्यायखन्ड 1 मे आया था और बहन तनुजा ने वीथ्रीएस सोसायटी मे गार्ड की नौकरी लगवायी थी मृतक शराब पीने का आदी था तथा शराब पीने के लिये पैसो के पीछे अपनी मां व बहनो के साथ मारपीट व गाली गलौज करता था .इसके शराब पीने की आदत के कारण ही दिनांक 26.11.23 को वीथ्रीएस सोसायटी से इसे गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया था इससे पूर्व मे भी मृतक आरजू शेख को

पश्चिम बंगाल मे नशा मुक्ति केन्द्र मे कई बार भर्ती कराया गया था परन्तु इसकी आदत नही छूटी थी . शराब पीकर गावं मे इसने अपनी मां का हाथ भी तोड दिया था।

सुल्ताना का पुत्र बाल अपचारी आरजू शेख के प्रतिदिन के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा क्षुब्ध था , इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मामा आरजू शेख की हत्या की योजना बनायी योजना के अनुसार इसने पिछले 3-4 दिन मे 500 रु इकठ्ठा किये और दिनांक 27.11.23 को अपने दोस्त को साथ लेकर दिल्ली गया .वहां से लाल किला के पास से 01 चाकू खरीदा , उसके बाद शाम को घर वापस आकर समय करीब 20.30 बजे मामा आरजू शेख को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ घर से लेकर गये ,और खोडा के शराब ठेके से 03 क्वार्टर देशी , कोल्ड ड्रिंक की बोतल , गिलास , नमकीन आदि खरीदा और गौर ग्रीन पार्क मे करीब 21.30 बजे तीनो आकर बैठ गये वहां दोनो बाल अपचारीयो ने आरजू शेख को शराब पिलायी , थोडी शराब कोल्ड ड्रिंक के साथ खुद भी पी , जब मृतक आरजू शेख बहुत ज्यादा नशे मे हो गया तब दोनो बाल अपचारीयो ने मिलकर आरजू शेख की चाकू से पेट व गले पर वार कर हत्या कर दी, वहाँ से दोनो अपने अपने घर आकर सो गये , अगले दिन सुबह दोनो ने अपने कपडे जला दिये बाल अपचारीयो की निशांदेही पर दोनो बाल अपचारीयो के जले हुये कपडो के टुकडे व राख को बरामद किया गया है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1- थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पेलेन्डर प्लस बरामद।

दिनांक 04.11.2023 को थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर वादी श्री अभय कुमार पुत्र सुनील कुमार म0न0 368 मयूर विहार फेस-1 दिल्ली की तहरीर के आधार पर वादी की मोटर साइकिल चोरी होने के सबध में थाना शालीमार गार्डन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया दिनांक 29.11.2023 को थाना शालीमार गार्डन ट्रांस हिण्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त गौरव पुत्र जयपाल निवासी मकान नम्बर F81 गली नं0 06 पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद को 80 फुटा रोड़ पुलिया के पास शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की मोटर साईकिल
रजि0 नं0 DL5SCS8391 हीरो स्पेलेन्डर प्लस बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरूध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>
गौरव पुत्र जयपाल निवासी मकान नम्बर F81 गली नं0 06 पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>
चोरी की मोटर साइकिल रजि0 नं0 DL5SCS8391 हीरो स्पेलेन्डर प्लस

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>
थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत मिलने वाले 75-75 हजार रूपये अनुचित रूप से प्राप्त करने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार।

<u>घटना एवं कार्यवाही का विवरणः-</u> श्रम प्रवर्तन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत पूर्व से शादीशुदा प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान 75 – 75 हजार रूपये अनुचित रूप से प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में दिनांक 20.05.2023 को थाना सिहानीगेट पर 6 अभियोग पंजीकृत कराये गये। विवेचना के क्रम में आज अभियुक्तगण 1.रोहित पुत्र राजकुमार सिंह निवासी शाहपुर बडवा थाना शिवहरा जिला बिजनौर (लिपिक) कार्यालय उपश्रमायुक्त गाजियाबाद 2.परवेज पुत्र शाहजहां निवासीगण निवासी 33 रोजी कालोनी निकट अग्रवाल स्वीट्स थाना विजय नगर गाजियाबाद 3.संजीव पुत्र महेन्द्र निवासी 332 रोजी कालोनी थाना विजय नगर गाजियाबाद व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण मे अब तक 17 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण</u>
1.रोहित पुत्र राजकुमार सिंह निवासी शाहपुर बडवा थाना शिवहरा जिला बिजनौर (लिपिक) कार्यालय उपश्रमायुक्त गाजियाबाद
2.परवेज पुत्र शाहजहां निवासी 33 रोजी कालोनी निकट अग्रवाल स्वीट्स थाना विजय नगर गाजियाबाद
3.संजीव पुत्र महेन्द्र निवासी 332 रोजी कालोनी थाना विजय नगर गाजियाबाद
4. एक अभियुक्ता

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>
थाना सिहानीगेट पुलिस टीम